तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 263
दायरा तिथि 13.06.2024
आदेश तिथि 18-07-2024

प्रार्थी :–

श्री शिवचरण हेडा पुत्र बालचन्द हेडा जाति जैन निवासी काया खेडा शास्त्री नगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)

ब नाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 18-07-2024

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारुप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1301 रकबा 0.5000 हैक्टर व खसरा नंबर 1303 रकबा 0.5500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1397 / 1287 रकबा 3.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 1300 रकबा 1. 2300 हैक्टर व खसरा नंबर 1302 रकबा 0.1500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 989 दिनांक 12.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतू मौके पर इन्ही खसरों में से चल रहे रास्ते से आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दुरी का विकल्प आस–पास पहाडी भूमि होने से उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि मौके पर रास्ता प्रचलित है, और इसी मार्ग से आवागमन होता है।
4. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टे. में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1397 / 1287	3.3520 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	200X9= 1800 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	1302	0.1500 हैक्टर	बारानी दोयम	100X9= 900 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

नोट:– आवेदक द्वारा खसरा नंबर 1300 रकबा 1.2300 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला में से भी रास्ता चाहा है, लेकिन उक्त खसरा प्रतिबंधित किस्म होने से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अर्थात् खसरा नंबर 1397 / 1287 व 1302 के मध्य गै.मु. नाला स्थित है, जिसमें से बारिश के समय में आस–पास के खेतों के पानी की निकास होती है। वर्तमान में उक्त नाला सुखा पडा है। उक्त नाले में कोई अवरोध न हो इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है।

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित रास्ता के खसरा नंबर 1397 / 1287 व 1302 की डी.एल.सी. दर 1,04,019 रू / – रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर कोई भी निर्माण कार्य, ढाणी, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/263

अनदान शिवचरण बैडा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1301 रकबा 0.5000 हैक्टर व खसरा नंबर 1303 रकबा 0.5500 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/989 दिनांक 12.07.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1301 रकबा 0.5000 हैक्टर व खसरा नंबर 1303 रकबा 0.5500 हैक्टर की भूमि की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1397/1287 रकबा 3.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 1300 रकबा 1.2300 हैक्टर व खसरा नंबर 1302 रकबा 0.1500 हैक्टर मे से **1800+900=2700** **वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,04,019 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1302	0.1500 हैक्टर	100X9= 900 वर्गमीटर	11	9900 X2=19800	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1397/1287	3.3520 हैक्टर	200X9= 1800 वर्गमीटर	11	19800 X2=39600	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 59,400/- (अक्षरे उनसाठ हजार चार सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

ग्राम मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 1397/1287 व 1302 के मध्य खसरा नंबर 1300 किस्म गै. मु. नाला जिसमें से बारिस के समय में आस पास के खेतों के पानी की निकासी होती है जो वर्तमान में सूखा पडा है। उक्त नाले में बिना जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया जा सकता एवं किसी भी प्रकार की संरचना जो जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करें उसका निर्माण नही किया जा सकता है। इन निर्देशो की अनुपालना मे प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार बाली उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

(दिशा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........03

CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/263

अनवान शिवचरण हेडा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 18-07-2024

क्रमॉक/कोर्ट/2024/841-845

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि सबधित मद में जमा की सुनिश्चितता करे।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री शिवचरण हेडा पुत्र बालचन्द हेडा जाति जैन निवासी शास्त्री नगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.) को सूचनार्थ।

उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली